v/;kns'k

ubZ fnYyh] 15 flrEcj] 2017

(क्रमांक 05/2017)

सं. 78/डाॅ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं ष्िाक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक मंे पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विष्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (f) में प्रदत शक्तियांे का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वणर््िात केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के वैसे विद्यार्थियों को जो किसी भी संसाधन से किसी प्रकार का वित्तीय सहायता प्राप्त नही करते हैं एवं स्नातक अथवा डॉक्टरल पाठ्यक्रम में ओ०जी०पी०ए० 7.5 या उससे ज्यादा प्राप्त करते हैं, को वर्तमान् दर से यानि 3000/- रूपये प्रतिमाह स्नातकोत्तर पाठयक्रम एवं 4500/- रूपये प्रतिमाह डाॅक्टरल पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्त्िा प्रदान की जायेगी। यह प्रावधान उन छात्रों के लिए वैध होगा जो विश्वविद्यालय में पूर्व से नामांकित हैं। नये छात्रों के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष miLFkkfir fd;k tk;sxkA

vkjå lhå JhokLro] dqyifr

[foKkiu&III@4@vlk-@285@17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 5 of 2017)

No. 78/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Governmentof India in the Departmentof Agricultural Research and Education (Indian Council of Agricultural Research) on the basis of recommendation of the Ist meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an Ordinance regulating the award of Fellowship to the students of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Dr. Rajendra Central Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016), and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make this Ordinance and notify that the student who are not recipient of any kind of financial assistance from any source and maintained OGPA of 7.5 and above in PG and Doctoral programme shall be allowed fellowship as per existing rate i.e. Rs. 3000/- p.m. for Masters programme and Rs. 4500/- for Doctoral degree programme. This provision will be valid only for such students already admitted in the University. However, for fresh students the matter should be put to Finance Committee.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

v/;kns'k

ubZ fnYyh] 15 flrEcj] 2017

(क्रमांक 06/2017)

सं. 79/डाॅ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं ष्िाक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक मंे पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं०

एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्यार्थियों के परीक्षक निकाय, परीक्षक एवं मध्यस्थों के नियुक्ति एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण से संबंधित अध्यादेष बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (g) में प्रदत शक्तियांे का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वणर््िात केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि